न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, नवलगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
प्रमोद आदि बनाम रामप्रकाश आदि
दीवानी दावा संख्या–25/2023
बीटी संख्या–08/2023

दिनांकः–02.01.2026

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना–पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र की नकल सम्मुख अधिवक्ता को दिलायी गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया है तथा जवाब प्रार्थना–पत्र बंद किया जा चुका है। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादीगण ने वादीगण के स्वामित्व, हक, अधिकार व कब्जे की पैतृक सम्पति के तथाकथित एक पट्टा जो जेठ सुदी 05 संवत् 1975 को तहरीर बता रहा है एवं दूसरा बेनामा चैत सुदी 13 संवत 1976 व दिनांक 13 अप्रेल, 1919 के अपने जवाब दावे के साथ पेश करना बता रहा है। उपरोक्त दोनों दस्तावेजात जिनकी भाषा हिंदी भाषा नहीं है एवं जो पढ़ने में भी नहीं आ रही है अर्थात् अपठनीय है व उपरोक्त तथाकथित दस्तावेज की फोटो प्रति प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे के साथ पेश की है। जिस कारण से उपरोक्त तथाकथित दस्तावेजों की वादीगण सत्यप्रतिलिपी भी नहीं ले पा रहा है। वादीगण के स्वामित्व, हक, अधिकार व कब्जे की सम्पति के प्रतिवादीगण ने उपरोक्त दोनों तथाकथित दस्तावेजात पेश किये हैं। जिनकी हिंदी अनुवाद करवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित प्रतीत है, ताकि उपरोक्त तथाकथित दस्तावेजों की सत्यतता व वास्तविक स्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष आ सके। अगर प्रतिवादीगण उपरोक्त दोनों तथाकथित दस्तावेजात की हिंदी अनुवाद पेश नहीं करता है तो वादीगण की सख्त हक तलफी होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में की जानी संभव नहीं होगी और वादीगण के साथ न्याय नहीं हो पायेगा। प्रतिवादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों की तिथियों से ही उपरोक्त दस्तावेजात मिथ्या दर्शित होते हैं। अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जायेंगे। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश तथाकथित उपरोक्त दोनों दस्तावेजात का हिंदी अनुवाद करवाया जाकर माननीय न्यायालय में पेश करने का प्रतिवादीगण को आदेश प्रदान करने की कृपा करें। ताकि वादीगण के साथ न्याय हो सके।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने दौराने बहस मौखिक रूप से यह तर्क दिया है कि उपरोक्त दस्तावेजात स्थानीय भाषा में है। जिसे सुना व पढ़ा जा सकता है तथा असल दस्तावेजात है। हस्तगत प्रार्थना–पत्र मात्र प्रकरण में देरीना के आशय से प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्यनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि अधिवक्ता वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण ने उसके हक, हिस्से व कब्जे की पैतृक संपत्ति के तथाकथित पट्टों को अपने जवाब दावे में पेश करना बता रहा है। परंतु दोनों दस्तावेज हिंदी भाषा में नहीं है। जिससे वह पढ़ने में नहीं आ रहे हैं अर्थात् वह अपठनीय है। न्यायालय द्वारा पक्षकारान से उपरोक्त दस्तावेजात को पढ़ने बाबत् कहा गया, परंतु पक्षकार स्वयं न्यायालय में उपरोक्त दस्तावेजात को पढ़ने में असमर्थ है तथा न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त दस्तावेजात हिंदी अनुवाद के अभाव में पठनीय प्रतीत नहीं हो रहा है। उक्त दोनों तथाकथित दस्तावेजात का हिंदी अनुवाद करवाया जाना आवश्यक व सुसंगत है। जिससे न्यायालय उन दस्तावेजात की अंतर्वस्तु का पठन कर सकेगा। उपरोक्त दस्तावेजात के हिंदी अनुवाद से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके विपरीत न्यायालय तथा सम्मुख पक्षकार को उपरोक्त दस्तावेजात की अंतर्वस्तु से हस्तगत प्रकरण में न्यायनिर्णयन में सहायता प्राप्त होगी। अतः उपरोक्त आधारों पर तथा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित दस्तावेजात का हिंदी अनुवाद आगामी पेशी पर पेश करें।

(सुमन चौधरी)
न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, नवलगढ़
जिला झुन्झुनू, राजस्थान

न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, नवलगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
प्रमोद आदि बनाम रामप्रकाश आदि
दीवानी दावा संख्या–25/2023
बीटी संख्या–08/2023

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना–पत्र में दिनांक **17.01.2026** को पेश हो।

(सुमन चौधरी)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, नवलगढ़
जिला झुंझुनूं, राजस्थान।